न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

अपील संख्या 265/2025

अमर सिंह पुत्र नारायण सिंह, जाति मेघवाल, निवासी बहादुरवास, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं राज0।
––अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मण्डावा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं राज0।
––रेस्पोडेन्ट

–––

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय बअदालत तहसीलदार मण्डावा तहसील मण्डावा जिला झुन्झुनूं मुकदमा उनवानी सरकार बनाम अमर सिहं मु.न. 15/2023 अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956 निर्णय दिनांक 07.12.2023

–––

उपस्थित :–
1. श्री विजयपाल, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

आदेश

दिनांक 10.12.2025

प्रस्तुत अपील तहसीलदार, नवलगढ के आदेश दिनांक 07.12.2023 के विरूद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रार्थना पत्र स्थगन के पेश की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट के अनुसार अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं ने अपीलान्ट को भूमि खसरा नं0 538/146 रकबा 3.57 है0 किस्म गैर मुमकिन चारागाह सरहद मौजा बहादुरवास जिला झुंझुनूं में 0.02 है0 पर अतिकमी घोषित कर बेदखल करने व आर्थिक दण्ड स्वरूप लगानम का 50 गुणा तावान राशि 11 रुपये बतौर पैनेल्टी से दण्डित करने का निर्णय दिनांक 07.12.2023 को पारित किया। इस कारण अपीलान्ट की ओर से यह प्रथम अपील तहसीलदार मण्डावा, जिला झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 07.12.2023 के विरुद्व नीचे लिखे अनुसार पेश है कि अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय और जैर बहस दिनांक 07.12.2023 खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अपीलान्ट के विरुद्ध दफा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपीलान्ट अतिकमी नहीं है। अपीलान्ट के हक में तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.06.1991 का जारी किया गया पट्टा है। अपीलान्ट अपने पट्टेशुदा भूमि पर हक से काबिज है। अपीलान्ट का कब्जा तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा संभालवाये गये स्थान पर है। इस प्रकार अपीलान्ट का कब्जा ईजाजतन है। अपीलान्ट का कब्जा पुराना है। निर्णय में वर्णित उच्चतम न्यायालय का निर्णय अपीलान्ट के प्रकरण में लागू नहीं होता। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। आदेश जैर बहस के आधार पर मनमाने है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एकपक्षीय है जो साबित भी नहीं की गई है। तथाकथित अतिकमण की लम्बाई चौड़ाई दर्ज नहीं है। तथाकथित अतिकमण की साल संवत दर्ज नहीं है। अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट दिनांक 22.03.2023 को अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा के यहां व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ और लिखित आवेदन के मार्फत जवाब नोटिस प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा। इस पर अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.04.2023 दी गई। उक्त नियत पेशी पर अपीलान्ट अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा के यहां उपस्थित हुआ तो पीठासीन अधिकारी ने अपीलान्ट को मौखिक कहा कि वे प्रकरण की जांच करवा रहे हैं और पुनः नोटिस देकर बुलाया जावेगा। इसके बाद अदालत मातहत

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

तहसीलदार मण्डावा ने प्रकरण को दिनांक 12.06.2023 की पेशी में लेकर दिनांक 26.06.2023 को अपीलान्ट को अनुपस्थित दर्ज कर दिया और पत्रावली को नायब तहसीलदार मण्डावा अदालत मातहत के यहां सुनवाई हेतु स्थानान्तरित कर दी गई। नायब तहसीलदार मण्डावा द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया। प्रकरण को तहसीलदार से नायब तहसीलदार को स्थानान्तरित करने की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई और दिनांक 07.12.2023 को एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित कर दिया। दिनांक 22.03.2023 की आदेशिका पर अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाना दर्ज है जबकि अपीलान्ट ने उक्त पेशी पर जवाब प्रस्तुत ही नही किया था। इस प्रकार अपीलान्ट के सुनवाई का समुचित अवसर नहीं देकर अदालत मातहत ने विधि की अवहेलना की है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.2023 को अपास्त किया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट के विरुद्ध दफा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। अपीलान्ट अतिक्रमी नहीं है। अपीलान्ट के हक में तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 26.06.1991 का जारी किया गया पट्टा है। अपीलान्ट अपने पट्टेशुदा भूमि पर हक से काबिज है। अपीलान्ट का कब्जा तत्कालीन ग्राम पंचायत द्वारा संभालवाये गये स्थान पर है। इस प्रकार अपीलान्ट का कब्जा ईजाजतन है। अपीलान्ट का कब्जा पुराना है। निर्णय में वर्णित उच्चतम न्यायालय का निर्णय अपीलान्ट के प्रकरण में लागू नहीं होता। आदेश जैर बहस स्पीकिंग नहीं है। आदेश जैर बहस के आधार पर मनमाने है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट एकपक्षीय है जो साबित भी नहीं की गई है। तथाकथित अतिक्रमण की लम्बाई चौड़ाई दर्ज नहीं है। तथाकथित अतिक्रमण की साल संवत दर्ज नहीं है। अपीलान्ट के साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना नहीं की गई है। अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्ट को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अपीलान्ट दिनांक 22.03.2023 को अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा के यहां व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ और लिखित आवेदन के मार्फत जवाब नोटिस प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा। इस पर अपीलान्ट को आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.04.2023 दी गई। उक्त नियत पेशी पर अपीलान्ट अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा के यहां उपस्थित हुआ तो पीठासीन अधिकारी ने अपीलान्ट को मौखिक कहा कि वे प्रकरण की जांच करवा रहे हैं और पुनः नोटिस देकर बुलाया जावेगा। इसके बाद अदालत मातहत तहसीलदार मण्डावा ने प्रकरण को दिनांक 12.06.2023 की पेशी में लेकर दिनांक 26.06.2023 को अपीलान्ट को अनुपस्थित दर्ज कर दिया और पत्रावली को नायब तहसीलदार मण्डावा अदालत मातहत के यहां सुनवाई हेतु स्थानान्तरित कर दी गई। नायब तहसीलदार मण्डावा द्वारा अपीलान्ट को कोई नोटिस नहीं दिया गया। प्रकरण को तहसीलदार से नायब तहसीलदार को स्थानान्तरित करने की सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गई और दिनांक 07.12.2023 को एकपक्षीय रूप से निर्णय पारित कर दिया। दिनांक 22.03.2023 की आदेशिका पर अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जाना दर्ज है जबकि अपीलान्ट ने उक्त पेशी पर जवाब प्रस्तुत ही नही किया था। इस प्रकार अपीलान्ट के सुनवाई का समुचित अवसर नहीं देकर अदालत मातहत ने विधि की अवहेलना की है। अतः अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.12.2023 को अपास्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने ग्राम बहादुरवास स्थित भूमि ख0न0 538/146 रकबा 3.57 है0 किस्म गैर मुमकिन चारागाह मे से 0.02 है0 भूमि मे अवैध अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने. जो पट्टा पेश किया है वह विवादित भूमि का नही है। अदालत मातहत मे अपीलान्ट की समुचित रूप से तामिल हुई है एवं अपीलान्ट की जबाबदेही आई है। विवादित भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है जो राजकीय भूमि है। अपीलान्ट का अवैध कब्जा है। अदालत मातहत ने नियमानुसार आदेश पारित किया है जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपीलान्ट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावे।

जिला कलक्टर झुन्झुनू

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया तथा पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। प्रकरण में अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम बहादुरवास स्थित भूमि ख0न0 538/146 रकबा 3.57 है0 किस्म गैर मुमकिन चारागाह मे से 0.02 है0 भूमि पर अतिकमी माना है। अपीलान्ट का अहम तर्क यह रहा है कि अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 22.03.2023 मे अपीलान्ट द्वारा जबाब पेश करना बताया है जबकि उक्त दिवस को अपीलान्ट अदालत मातहत मे उपस्थित हुआ था। अपीलान्ट ने उस रोज कोई जबाब पेश नही किया। अपीलान्ट ने एक प्रार्थना पत्र पेश कर जबाब हेतु अवसर चाहा था। अपीलान्ट की मातहत मे समुचित रूप से सुनवाई नही की गई है। अपीलान्ट अपनी पट्टेशुदा भूमि पर काबिज है। अपीलान्ट ने कोई अवैध अतिक्रमण नही किया है। अदालत तहसीलदार, मण्डावा द्वारा प्रकरण को अदालत नायब तहसीलदार मे स्थानान्तरित करने की कोई सूचना व नोटिस नही दिया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट की गलत रूप से अनुपस्थिति दर्शाई जाकर व बिना सुने आदेश पारित किया गया है। न्यायालय की दृष्टि में किसी प्रकरण का निस्तारण प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त की पालना किये जाने अर्थात पक्षकारों को सुनवाई तथा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर देते हुये किया जाना चाहिए। अदालत मातहत की आदेशिका दिनांक 22.03.2023 मे जबाब पेश किये जाने का अंकन भी गलत है। अतः उक्त समस्त तथ्यों के मध्यनजर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अदालत मातहत के निर्णय दिनांक 07.12.2023 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अदालत अपीलान्ट द्वारा बताये जा रहे पट्टे की जांच करते हुये एवं अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। अदालत मातहत को यह भी निर्देश दिये जाते है कि भविष्य मे न्यायालय मे लिखी जाने वाली आदेशिका मे सही तथ्यों को अंकन किया जावे। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 10.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं